"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016—फाल्गुन 14, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद पारधी (Mohamad Pardhi) पिता स्व. गजानंद पारधी, आयु 58 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, साक्षरता चौक, राजू साइकिल स्टोर्स के पास, वार्ड नं. 19, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मोहम्मद (Mohamad) दर्ज है तथा मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड व परिचय पत्र में मेरा नाम महमत पारधी (Mahamad Pardhi) दर्ज है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद पारधी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद पारधी पिता स्व. गजानंद पारधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद (Mohamad) पिता स्व. गजानंद पारधी निवासी-शास्त्री नगर, साक्षरता चौक, राजू साइकिल स्टोर्स के पास, वार्ड नं. 19, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	मोहम्मद पारधी (Mohamad Pardhi) पिता स्व. गजानंद पारधी निवासी-शास्त्री नगर, साक्षरता चौक, राजू साइकिल स्टोर्स के पास, वार्ड नं. 19, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रवि वर्मा (Ravi Verma) पिता श्री किशन लाल वर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी-मकान नं. 178, बजरंग चौक, ग्राम तोहड़ा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम भूलवश रविकुमार वर्मा लिखा गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम रवि वर्मा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रवि वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रवि वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रवि कुमार वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा निवासी-ग्राम+पो. टोंहड़ा तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.)	रवि वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा निवासी-ग्राम+पो. टोंहड़ा तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किशन लाल वर्मा पिता श्री टीकाराम वर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी-मकान नं. 178, बजरंग चौक, ग्राम तोहड़ा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र रवि वर्मा के दसवीं के अंकसूची में मेरा नाम (पिता का नाम) भूलवश किशन लाल लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "वर्मा" जोड़कर नया नाम किशन लाल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे किशन लाल वर्मा पिता श्री टीकाराम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
किशन लाल पिता श्री टीकाराम वर्मा निवासी-ग्राम+पो. टोंहड़ा तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.)	किशन लाल वर्मा पिता श्री टीकाराम वर्मा निवासी-ग्राम+पो. टोंहड़ा तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति प्रतिभा वर्मा पति श्री किशन लाल वर्मा, उम्र 43 वर्ष, निवासी-मकान नं. 178, बजरंग चौक, ग्राम टोहड़ा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र रवि वर्मा के दसवीं के अंकसूची में मेरा नाम (माता का नाम) भूलवश प्रतिभा लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "वर्मा" जोड़कर नया नाम श्रीमति प्रतिभा वर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती प्रतिभा वर्मा पति श्री किशन लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति प्रतिभा	श्रीमति प्रतिभा वर्मा
पति श्री किशन लाल वर्मा	पति श्री किशन लाल वर्मा
निवासी-ग्राम+पो. टोंहड़ा	निवासी-ग्राम+पो. टोंहड़ा
तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.)	तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डारेन कुमार साहू (Daren Kumar Sahu) पिता श्री रामाधार साहू, उम्र 52 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 19 सी., रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम डारेन कुमार दर्ज है जबकि मेरे पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा पूरा नाम डारेन कुमार साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "साहू" जोड़कर नया नाम डारेन कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे डारेन कुमार साहू पिता श्री रामाधार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
डारेन कुमार	डारेन कुमार साहू
पिता श्री रामाधार साहू	पिता श्री रामाधार साहू
निवासी-क्वा. नं. 19/सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई	निवासी-क्वा. नं. 19/सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुष्पलता पटेल पति श्री राजकुमार पटेल, जाति मरार, उम्र 38 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 2 बी, सड़क 22, नंदिनी माईन्स, अहिवारा, तह. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री राजकुमार पटेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पुष्पलता दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "पटेल" जोड़कर नया नाम श्रीमती पुष्पलता पटेल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती पुष्पलता पटेल पति श्री राजकुमार पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती पुष्पलता पति श्री राजकुमार पटेल निवासी-क्वा. नं. 2 बी, सड़क 22, नंदिनी माईन्स, अहिवारा तह. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती पुष्पलता पटेल पति श्री राजकुमार पटेल निवासी-क्वा. नं. 2 बी, सड़क 22, नंदिनी माईन्स, अहिवारा तह. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.)

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

दुर्ग, दिनांक 5 फरवरी 2016

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30)) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/254/प्र.2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि श्री डॉ. लक्ष्मी नारायण चन्द्राकर आ. स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर प्रधान न्यासी द्वारा "माधव निसर्गोपचार ट्रस्ट प्राकृतिक चिकित्सालय पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग" के लोक न्यास के रूप में पंजीकरण हेतु लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद् द्वारा सूचनापत्र दिया गया कि कथित आवेदन पर दिनांक 15-03-2016 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"माधव निसर्गोपचार ट्रस्ट प्राकृतिक चिकित्सालय पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग "
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये-1508155.35 बैंक ऑफ बडौदा में 31-03-2015 की स्थिति में
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम पोटियाकला प. ह. नं. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नम्बर 141/4,141/5,141/9 रकबा 1.214, 0.769, 0.264 कुल रकबा 2.247 हे. अनुमानित मूल्य-64039500.00.

ए. के. बाजपेयी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक डोंगरगांव जिला राजनांदगांव

प्रारूप क्र. 5

[देखे नियम 5 (1)]

डोंगरगांव, दिनांक 16 फरवरी 2016

रा. प्र. क्र. 01 बी/113 वर्ष 2015-16

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के समक्ष]

क्रमांक/283/प्र.-1/अ.वि.अ./2016.—यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करता है.

अब इसलिए, मैं श्री अविनाश भोई, लोक न्यासों का पंजीयक डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव मेरे न्यायालय में 17-03-2016 दिन गुरुवार के दिन के 11.00 बजे कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"अनंत रामेश्वरम् गौधाम धर्मार्थ ट्रस्ट ग्राम तिलईरवार (टप्पा), तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ. ग.) "
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम तिलईवार प. ह. नं. 10 तहसील डोंगरगांव में स्थित कुल ख. नं. 11 रकबा 7.437 हे. भूमि ओम अनंत रामेश्वरम् गौधाम धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम पर है.

अविनाश भोई,
अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जगदलपुर, जिला-बस्तर

जगदलपुर , दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक/उ. पं.ज./परिसमापन/2016/119.—कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख संस्था जगदलपुर के ज्ञापन क्र./स. भू. वि. कर्म साख संस्था/बैंक/08/जगदलपुर दिनांक 01-02-2016 के अनुसार जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख संस्था जगदलपुर की विशेष आमसभा की बैठक दिनांक 20-12-2015 में सर्व सम्मति से संस्था का पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करते हुए परिसमापक की नियुक्ति किए जाने का निवेदन किया गया है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्र./एफ-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारण के आधार पर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख संस्था जगदलपुर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा श्री एम. एल. नंदनवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी बस्तर को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 11-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया है.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक .

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/595.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. गौरेला विकास खण्ड गौरेला पं. क्र. 2661 दिनांक 19-09-1959 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 3-8-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. गौरेला विकासखण्ड गौरेला पं. क्र. 2661 दिनांक 19-09-1959 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूं तथा कु. सोनिया देवांगन, सहकारी विस्तार अधिकारी गौरेला को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/594.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप कामगार सहकारी समिति मर्या. निरतु विकासखण्ड मस्तुरी पं. क्र. 276 दिनांक 16-09-2009 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 3-8-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये कामगार सहकारी समिति मर्या. निरतु विकासखण्ड मस्तुरी पं. क्र. 276 दिनांक 16-09-2009 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारी विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/597.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप जय फुलवारी बाबा आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या. अपरखुजी विकासखण्ड पेन्ड्रा पं. क्र. 153 दिनांक 02-09-2003 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 3-8-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये जय फुलवारी बाबा आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या. अपरखुजी विकासखण्ड पेन्ड्रा पं. क्र. 153 दिनांक 02-09-2003 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूं तथा श्री दीपक कंवर, सहकारी विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1222.— कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गांगपुर पंजीयन क्रमांक 08 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 399 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत

नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति की परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गांगपुर पंजीयन क्रमांक 08 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एस. के. श्रीवास, उप अंकेक्षक को कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गांगपुर पंजीयन क्रमांक 08 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1223.—बुढ़ादेव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पालीगुढ़ा पंजीयन क्रमांक 09 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 393 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था, किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति की परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बुढ़ादेव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पालीगुढ़ा पंजीयन क्रमांक 09 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी. एल. राणा, वरिष्ट सहकारी निरीक्षक को बुढ़ादेव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पालीगुढ़ा पंजीयन क्रमांक 09 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.